राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....1504/2016.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स पी.आर. रोलिंग मिल्स प्रा0लि0, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत्त ई, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.2016	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.2016 अन्तर्गत राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहन प्रवेश कर अधिनियम, 1988 की धारा 6 एव 7 सपिठत धारा 30 एवं 58 रा.वि.क.अ. 1954 व धारा 26 एवं 55 आरवेट, 2003 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 3,91,811/– में से रू0 2,13,135/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया एवं शेष बकाया मांग राशि रू0 1,78,676/– को स्थगित नहीं करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। जिसके विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में राज्य के बाहर से विभाग से ईटी–1 जारी कराये बिना मोटर वाहन दिल्ली से आयात किया गया तथा देय प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया गया। इस अवधि का कर निर्धारण खरीद की अवधि से दो वर्ष की अवधि के भीतर ही किया जा सकता है। अपने तर्कों के समर्थन में उनके द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रिट संख्या 1007 से 1009/2000 मैसर्स मूमल मार्बल्स लि0 बनाम राजस्थान सरकार आरटीआर (2003)II पेज 552 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि रूपये 1,78,676/– की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या .....1504/2016.....जिला.....जयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/08/2016	उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.06.2016 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 1,78,676/— की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। 7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। 8. आदेश प्रसारित किया गया। 8.8.2016 (मदन लाल) सदस्य	